



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

G20

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक- 1199 /12-1 :देहरादून:दिनांक: 20 दिसम्बर, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
25, सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुनस्यारी अन्तर्गत प्रस्तावित सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़, जल विद्युत परियोजना के नव निर्माण हेतु 29.997 हे० वन भूमि का यूजेवीएन लि० को प्रत्यावर्तन।  
(ऑनलाईन प्रस्ताव सं०-FP/UK/HYD/119861/2021)

सन्दर्भ:-भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी०/यू०सी०पी० /01/81/2022/एफ०सी०/1402 दिनांक 19.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के द्वारा वांछित सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 1465/12-1(2) दिनांक 06.12.2023 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र.सं.	आपत्ति	उत्तर
1	बिन्दु सं० 03 में वर्णित DFO Comments अप्राप्त है। संलग्न में सिर्फ उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत है, परन्तु भारत सरकार के पत्रानुसार DFO की विशिष्ट टिप्पणियां अनुरोधित है।	बिन्दु संख्या-03 के क्रम में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा पूर्व में प्रस्तावित स्थल पर पुनः 08 नवीन सी०ए० क्षेत्रों का चयन किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 05 हे० से अधिक है। उक्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण सम्बन्धित वन आरक्षी श्री गोविन्द कुमार द्वारा किया गया है, जो कि वृक्षारोपण की दृष्टि से उपयुक्त है। उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-1)
2	बिन्दु संख्या 05 में आपकी टिप्पणी है कि "An Undertaking is attached" कृपया संलग्नकों में से सम्बन्धित पृष्ठों को स्पष्ट करते हुये प्रस्तुत करें।	बिन्दु सं० 05 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा Undertaking से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-2)
3	बिन्दु संख्या-13 में आपका उत्तर, प्रश्न के उद्देश्य परक तथ्यों को स्पष्ट नहीं करता है। कृपया प्रत्येक सी०ए०, क्षेत्रवार उसका क्षेत्रफल, स्थल विशिष्ट वृक्षारोपण प्लान की स्पष्ट सूचना दें।	बिन्दु सं० 13 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित सी०ए० क्षेत्र का क्षेत्रवार क्षेत्रफल एवं वृक्षारोपण प्लान तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)

अतः प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या- 1199 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, सि०भ्यो०रूप०परि०, यू०जे०वि०एन०लि०, मुनस्यारी, पिथौरागढ़।

(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, देहरादून।